बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-27/2023, अध्यापक नियुक्ति

प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन संख्या 27 / 2023, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात् प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु कॉउंसिलिंग के समय ऑनलाईन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जायेगी जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल, दोनों ही स्वतः रद्द समझी जायेगी ।

इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड किये गये कागजात / दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार / प्रशासी विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया Watermark अंकित रहेगा जो पूर्व के Watermark से भिन्न होगा |

अतः उक्त परीक्षा से सम्बन्धित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय आयोग के Portal पर upload किये गए अपने सभी प्रमाण-पत्रों को Download कर, जिस पर आयोग का Watermark होगा, प्रशासी विभाग के द्वारा आयोजित कॉउसिलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के Watermark के बिना कोई प्रमाण-पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा । कोई नया प्रमाणपत्र upload कर पुनः डाउनलोड कर जमा करनें कि व्यवस्था मात्र सम्बंधित प्रशासी विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जायेगी अन्यथा नहीं |

अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य/दिव्यांगता / आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कराई जायेगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यान्गता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, IGIMS, AIIMS से कराई जायेगी चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिये बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है।

जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाये जाने एवम् पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

अर्हतांक एवं cutoff

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक- 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधासूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करनें का प्रश्न ही नहीं रह जाता है |
- ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है | अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हों जाये | ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जायेगी और इस कारण उसमें कोई cutoff नहीं हो सकेगा अर्थात यह N.A. (Not Applicable) रहेगा |
- साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होतें हैं तो उसका प्राप्तांक ही cutoff हो जायेगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अहर्तांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अहर्तांक से कम होगा |
- यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का cutoff वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अहर्तांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगें यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अहर्तांक से कम हो |

मेधा क्रम एवं Tie-breaker

- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक, परन्तु भाषा के qualifying होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गयी है |
- उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड (भाग- III) अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम Tie-breaker के रूप में किया गया है परन्तु कक्षा 1-5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में (भाग- III) नहीं रहनें के कारण इसके लिए कोई Tie-breaker-I नहीं रहेगा |
- Tie-breaker-I के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय Tie-breaker-II में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1-5 के अध्यापक हेतु किया गया है|
- परन्तु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर-हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और level playing field प्रदान करनें हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक

कार्रवाई एवम् सेवाशर्त) नियमावली 2023 की कंडिका -7 की उप कंडिका (V) के तहत न्यूनतम अहर्तांक नियत करनें के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन की कंडिका- 6 (चयन प्रक्रिया) के अनुसार न्यूनतम अहर्तांक को आवश्यकतानुसार शिथिल करनें के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अहर्तांक शून्य घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को Tie-breaker-II के रूप में नहीं रखा गया है ।

- Tie-breaker-III एवं IV के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी गयी है ।

<u>अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त</u>

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal Nos. ...../2023 (Arising out of SLP(C) Nos. 23583-84 of 2022 एवम् SLP(C) No.- 23943 of 2022) में दिनांक 28.11.2023 को पारित न्यायादेश – National Institute of Open Schooling (NIOS) के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा (D.El.Ed.) की मान्यता समाप्त की गयी है ।
- ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवम् सेवाशर्त) नियमावली 2023 की कण्डिका- 2 की उप कण्डिका- XXVI के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिन्दु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
- इसके आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापाक- 11/नियमावली 01-02/2023- 743, दिनांक 10-04-2023 संसूचित है ।
- फिर भी यदि इससे सम्बन्धित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा।

21/12/2023

परीक्षा नियंत्रक (TRE- 2.0)
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना